संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Website:mpurban.gov.in

भोपाल, दिनांक 21.11.2025

// आदेश //

क्रमांक/स्था.-01/रा.न./(Estab)-UAD/2025/ 24957- कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. का पत्र क्रमांक/शुडा/2025/953 दिनांक 13-11-2025 द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है कि नगर परिषद, खिलचीपुर जिला राजगढ़ में प्राप्त शिकायतों की जाँच 03 सदस्यीय समिति गठित कर जाँच कराई गई। उक्त शिकायतों के संबंध में डिप्टी कलेक्टर/ परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण जिला राजगढ़ (ब्यावरा) के पत्र क्रमांक 951/शुडा/2025 राजगढ़ दिनांक 12-11-2025 द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निकाय अंतर्गत कराए गए कंक्रीट/बिटुमिनस रोड की मोटाई तथा कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ निर्धारित मापदण्ड से कम पाए जाने का उल्लेख है। साथ ही आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य भी गुणवत्ताविहीन पाया गया है।

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. का पत्र क्रमांक/शुडा/2025/980 दिनांक 14-11-2025 से श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को निलंबित करने की अनुशंसा का लेख किया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, (राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा) नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ का उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में लापरवाही, कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता परिलक्षित होती है। श्री बघेला का उक्त मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध पाया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्र. 128 एफ 4-129-2014-अठारह-1, भोपाल दिनांक 12 मार्च, 2015 की अनुसूची-1 के अनुक्रमांक-6 के अंतर्गत प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकारों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अनुसार श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री अमृतलाल बघेला, उपयंत्री, नगर परिषद, खिलचीपुर जिला-राजगढ़ का मुख्यालय संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जो नगर परिषद, खिलचीपुर जिला राजगढ़ से देय होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(संकेत भोंडवे)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

-02

Scanned with OKEN Scanner

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Shivaji Nagar, Bhopal - 462016
Tel. 0755-2550194, Fax-0755-2550194
Email:- shakha.uad@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक/स्था.-1/निलंबन/2025/24959 कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक/इूडा/2025/981, राजगढ़ दिनांक 14.11.2025 द्वारा नगर परिषद खिलचीपुर में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जांच में श्री अशोक कुमार पांचाल (मूलपद राजस्व निरीक्षक) तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद खिलचीपुर (वर्तमान पदस्थापना नगर परिषद बड़ागांव जिला आगर-मालवा) के दोषी पाये जाने से अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों/आदेशों की अवहेलना के दृष्टिगत श्री पांचाल को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः श्री अशोक कुमार पांचाल (मूलपद राजस्व निरीक्षक) तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद खिलचीपुर (वर्तमान पदस्थापना नगर परिषद बड़ागांव जिला आगर-मालवा) को प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं तथा उपरोक्त के अनुक्रम में कलेक्टर जिला राजगढ़ की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86, 95 एवं कार्यपालन नियम 1973 के नियम 36 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री अशोक कुमार पांचाल के निलंबन अवधि में इनका कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग रहेगा एवं श्री पांचाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद बड़ागांव जिला आगर मालवा द्वारा किया जाएगा।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(संकेत भोंडवे)
आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with OKEN Scanner